

न्यायालय:-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-260 / 2006

संस्थित दिनांक-06.05.2006

फाई.नं0 234503000512006

म.प्र. राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी खापा
 बफर जोन वन मण्डल कान्हा टाइगर रिजर्व
 मण्डला तह. बैहर जिला बालाघाट म.प्र.।

.....परिवादी

विरुद्ध

1. दुलमसिंह आत्मज मुन्ना जाति गोंड उम्र 47 वर्ष
2. फूलसिंह पिता मुन्नालाल जाति गोंड उम्र 40 वर्ष (फौत)
 दोनो निवासी ग्राम भारदा, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट म.प्र.।

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

दिनांक-19/12/2017 को घोषित:-

- 1— अभियुक्त पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम-1972 की धारा 2(16), 9, 31, 34, 35(क)(6)(8), सहपठित धारा-51 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-02.02.2006 को वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला के अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक-1506 भारदा झोड़ी में आरक्षित वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी, हंसिया लेकर अवैध प्रवेश किया एवं वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर उसका मांस खाया।
- 2— प्रकरण के अभियुक्त फूलसिंह पिता मुन्नालाल की मृत्यु हो गयी है।
- 3— परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.02.2006 को प्रदीप कुमार धुर्वे वनरक्षक बीटगार्ड बम्हनी को पता चला था कि अभियुक्त दुलमसिंह एवं फूलसिंह दोनो भाईयों ने चीतल का शिकार किया है, तब वनरक्षक सुरक्षा श्रमिक गोविंद, संतलाल, एवं रमेश को लेकर ग्राम भारदा गया था। अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने चीतल का शिकार करना स्वीकार किया था। अभियुक्तगण ने चीतल का मांस खाना बताया था एवं वनरक्षक प्रदीप कुमार धुर्वे को चीतल के चमड़ा के बाल, लद्दी, चीतल का मांस कुल्हाड़ी, हंसिया, चीतल के बाल, खून लगी हुई मिट्टी जप्त कराई थी एवं अभियुक्तगण ने वह स्थान बताया था, जहां पर चीतल को काटा था एवं जहां से चीतल को उठकार लाये थे। घटनास्थल कक्ष क्र.1506 था। अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदीप कुमार धुर्वे वनरक्षक ने पी.

ओ.आर. क्रमांक-2154/20 काटा था। अनुसंधान उपरांत न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था।

4- अभियुक्तगण पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय के पैरा-1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया था, तो अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5- अभियुक्त दुलमसिंह का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष हैं, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

1. क्या अभियुक्त दुलमसिंह ने घटना दिनांक-02.02.2006 को वनपरिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला के अंतर्गत वन कक्ष क्रमांक-1506 भरदा झोड़ी में आरक्षित वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी, हंसिया लेकर अवैध प्रवेश किया एवं वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर उसका मांस खाया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

7- प्रदीप कुमार परि.सा.5 का कहना है कि वह दिनांक-02.02.2006 को परिसर बम्हनी परिक्षेत्र खापा बफर जोन में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे उक्त दिनांक को सुबह 6:00 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भारदा में अभियुक्त दुलमसिंह कक्ष क्र.1596 से चीतल को लेकर अपने घर के पास नाला में कुल्हाड़ी एवं हंसिया से काटकर मांस को पकाकर खाया है एवं चीतल के चमड़े, लद्दी को नाले में रेत के अंदर दबा दिया है। अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वीकार किया था, तब मौके से अभियुक्त से चीतल का मांस 100 ग्राम उसके घर से प्राप्त किया था, चीतल का चमड़ा, लद्दी, कुल्हाड़ी, हंसिया जिससे चीतल को काटा गया था, प्रदर्श पी-1 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त किया था एवं घटनास्थल पर मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-5 साक्षी की हस्तलिपि में गवाह

गोविंद, रमेश, संतलाल के समक्ष तैयार किया था। प्रदर्श पी-1 के जप्ती पंचनामा के अनुसार अभियुक्त से एक चीतल का चमड़ा जिसकी लंबाई-चौड़ाई 120 से.मी. एवं 54 से.मी. चीतल का चमड़ा, लद्दी, मांस 100 ग्राम, एक नग कुल्हाड़ी, एक नग हंसिया जप्त किया था, जिसके एफ से एफ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं एवं आई से आई भाग पर अभियुक्त दुलमसिंह के हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रदर्श पी-2 के जप्ती पंचनामा अनुसार कक्ष क. 1596 में से जहां से चीतल को उठाकर अभियुक्त अपने घर लाया था, खून लगी मिट्टी, चीतल के बाल गवाहों के समक्ष जप्त किये थे।

8— घटना के अन्य साक्षी संतलाल परि.सा.01, रमेश कटरे परि.सा.04 ने उनके मुख्य परीक्षण की साक्ष्य में जप्ती कर्ता अधिकारी के कथनों का समर्थन किया है। किंतु संतलाल परि.सा.01 ने उसके प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसके सामने अभियुक्त से कोई कुल्हाड़ी, हंसिया की जप्ती नहीं की गयी थी। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि पी.ओ.आर. में कौन सी संपत्ति दर्ज की गयी थी उसे पता नहीं है एवं जप्ती पत्रक के द्वारा कितनी संपत्ति किससे जप्त की गयी थी उसे पता नहीं है। इस प्रकार जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 के साक्षी ने उसकी साक्ष्य में जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

9— गोविंद परि.सा.02 का कथन है कि घटना वर्ष 2006 की है। वह वन विभाग में गस्ती के पद पर पदस्थ था। वनरक्षक प्रदीप धुर्वे ने साक्षी के समक्ष अभियुक्त से पूछताछ की थी तब अभियुक्त ने बताया था कि उसने जंगल में मरे हुए चीतल को काटा है एवं मांस को खाया है। चमड़ा, लद्दी, थोड़ा सा मांस अभियुक्त से जप्त हुआ था। अभियुक्त ने उसके घर से एक कुल्हाड़ी, हंसिया निकालकर दिया था। मरा हुआ चीतल क्षेत्रीय जंगल में पड़ा हुआ बताया था। जप्ती पंचनामा प्र.पी.01 एवं 02 की कार्यवाही साक्षी ने उसके सामने होना बतायी है। साक्षी के समक्ष प्र.पी.03 का पीओआर काटा गया था। अभियुक्त साक्षी को घटनास्थल पर ले गया था। अभियुक्त ने घटनास्थल दिखाया था। मौके का पंचनामा प्र.पी.05 व 06 साक्षी के समक्ष बनाये गये थे। साक्षी ने उसका बयान प्र.पी.04 दिया था। घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी जप्त किये गये थे। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष घटना स्थल से प्र.पी.06 के पंचनामा के अनुसार

चीतल के बाल जप्त हुए थे एवं जप्त सामान को खापा बफर के परिक्षेत्र अधिकारी के समक्ष जलाया गया था जिसका पंचनामा प्र.पी.07 है। अभियुक्त को प्र.पी.08 के गिरफ्तारी पंचनामा के अनुसार गिरफ्तार किया था। साक्षी के समक्ष अभियुक्त से चीतल का चमड़ा, लददी, चीतल का मांस लगभग 100 ग्राम जप्त किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि जप्ती के समय वह उपस्थित नहीं था इस कारण उसे पता नहीं है कि किस अभियुक्त से क्या सामान जप्त हुआ था। साक्षी को यह भी पता नहीं है कि जप्त चमड़ा किस जानवर का था। साक्षी को यह पता नहीं है कि चीतल को किसने मारा था। किस कागज में क्या लिखा था साक्षी को कोई जानकारी नहीं है। साक्षी ने वनरक्षक प्रदीप धुर्वे के बताये अनुसार साक्ष्य दी थी। गोविंद परि.सा.02 ने उसके प्रतिपरीक्षण में घटना का समर्थन नहीं करते हुए घटना के विपरीत कथन किये हैं। गोविंद परि.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।

10—रमेश कुमार कटरे वनरक्षक परि.सा.04 का कहना है कि घटना के समय वनरक्षक प्रदीप के साथ भारदा दुलमसिंह के घर गये थे। सूचना मिली थी अभियुक्त चीतल को लाया है और काटकर मांस खाया है। अभियुक्त दुलमसिंह से वनरक्षक ने पूछताछ की थी। पूछताछ में अभियुक्त दुलमसिंह ने बताया था कि पूर्व बैहर जंगल वाले क्षेत्र में जब वह लकड़ी के लिए गया था तो वहां मृत चीतल पड़ा हुआ मिला था। जिसे नाला के पास से उठाकर किनारे पर लाकर काटकर कुछ मटन खा लिया था और कुछ मटन सुखाया था। अभियुक्त दुलमसिंह के पास से चीतल का मांस लगभग सौ-दो सौ ग्राम, एक कुल्हाड़ी और एक हंसिया की जप्ती की कार्यवाही करने के उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था एवं साक्षी के समक्ष प्र.पी.07 का पंचनामा बनाया गया था। साक्षी ने प्र.पी. 14 के कथन दिये थे, जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं एवं साक्षी के समक्ष घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.10 बनाया गया था जहां से चीतल को उठाकर लाया गया था। साक्षी को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त से चीतल का चमड़ा, चीतल की लददी, चीतल का मांस, एक नग कुल्हाड़ी, एक नग हंसिया, चीतल के बाल खून लगी मिट्टी जप्त करायी थी। साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि घटना के समय

वनरक्षक प्रदीप और उसकी बीट अलग अलग थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि जप्ती का स्थान भारदा नाला है। जबकि प्र.पी.01 एवं 02 की जप्ती पंचनामा में अभियुक्त दुलमसिंह से जप्त सामान का स्थान भारदा नाला लिखा है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी की साक्ष्य से प्र.पी.01 एवं 02 की जप्ती पंचनामा की कार्यवाही एवं जप्ती पंचनामा में लिखा स्थान संदिग्ध दर्शित होता है।

11— जगदीश प्रसाद परि.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 02.02.2006 को वन परिक्षेत्र खापा बफर में वनरक्षक के पद पर गुदमा बीट पर पदस्थ था। घटना वर्ष 2006 की दिन के 2:30 बजे की ग्राम भारदा के जंगल की है। ग्राम भारदा के जंगल में एक मृत चीतल पड़ा हुआ था। मृत चीतल को अभियुक्त उसके घर लेकर आया था जिसका पंचनामा बनाया गया था जो प्र.पी.06 है। घटना के दूसरे दिन परिक्षेत्र कार्यालय खापा बफर के परिसर में चीतल को जलाया गया था जिसका पंचनामा प्र.पी.07 है।

12— मो.जमा कुरैशी अ.सा.07 का कथन है कि वह दिनांक 02.02.2006 को पूर्व परिक्षेत्र बैहर के अंतर्गत बैहर भाग एक में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उसी दौरान खापा परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भारदा के अभियुक्त दुलमसिंह को वन्य प्राणी चीतल का शिकार करने के अपराध में खापा बफर जोन परिक्षेत्र में पकड़ा गया था। घटना पूर्व बैहर परिक्षेत्र के शासकीय वन कक्ष क.1596 में घटी थी। जिसका घटनास्थल का नक्शा साक्षी द्वारा बनाया गया था, जो प्र.पी.18 है। साक्षी ने उसके बयान खापा परिक्षेत्र अधिकारी को लिखकर दिया था, जो प्र.पी.13 है।

13— एच.डी.सारवे परि.सा.03 का कथन है कि वह दिनांक 02.02.2006 को खापा बफर परिक्षेत्र में परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ थे। उसे पी.ओ. आर.क्रमांक 2151/20 दिनांक 02.02.2006 को विवेचना के लिए प्राप्त हुआ था। साक्षी को पी.ओ.आर. के साथ जप्ती पत्रक प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 प्राप्त हुए थे। पी.ओ.आर. की विवेचना के समय अभियुक्त दुलमसिंह से पूछताछ कर उसके बताये अनुसार प्र.पी.11 का कथन साक्षी के समक्ष वनरक्षक प्रदीप धुर्वे के द्वारा लेखबद्ध किये गये थे, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के एवं बी से बी भाग पर अभियुक्त दुलमसिंह के हस्ताक्षर लिये थे। जिसमें अभियुक्त दुलमसिंह ने उसके बयान प्र.पी.11 में प्रकरण की घटना के बारे में बताया था। अभियुक्त दुलमसिंह से पूछताछ कर उसके बताये अनुसार प्र.पी.

12 का कथन लेखबद्ध किया था। साक्षी ने विवेचना के समय वनपाल परिक्षेत्र सहायक एम.जी.कुरैशी, गवाह गोविंद, संतलाल, रमेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। विवेचना के दौरान वनरक्षक प्रदीप धुर्वे ने उसके कथन लिखकर दिया था। साक्षी ने घटनास्थल का नजरीनक्शा प्र.पी.15 एवं 10 सत्यापित किया था जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। घटना के समय साक्षी के परिक्षेत्र अधिकारी डी.एस.मर्सकोले थे जिनके द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्र.पी.16 का परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। जिसके ए से ए भाग पर डी.एस.मर्सकोले के हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने उनके साथ रहकर कार्य किया है इस कारण यह साक्षी उनके हस्ताक्षर पहचानता है। प्र.पी.01 लगा. प्र.पी.15 एवं प्र.पी.17 लगा. प्र.पी.19 के दस्तावेजों के डी से डी भाग पर वन परिक्षेत्र अधिकारी डी.एस.मर्सकोले के हस्ताक्षर हैं।

14— जलील खान परि.सा.08 का कथन है कि वह दिनांक 02.02.2006 को वन परिक्षेत्र खापा बफर में रेंज क्लर्क के पद पर पदस्थ था। उक्त साक्षी ने उसकी साक्ष्य में डी.एस.मर्सकोले के निधन होने के कारण उनके द्वारा की गयी कार्यवाही के दस्तावेजों पर हुए हस्ताक्षरों की पहचान की है।

15— प्रकरण में अभियुक्त को प्र.पी.16 की परिवाद के अनुसार दिनांक 02.02.2006 को वन परिक्षेत्र खापा बफर जोन कान्हा टायगर रिजर्व मण्डला के कक्ष क्रमांक-1506 भारदा झोड़ी में आरक्षित वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी, हंसिया लेकर अवैध प्रवेश कर वन प्राणी चीतल का शिकार कर उसका मांस खा जाने के अपराध में गिरफ्तार किया था। इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध पीओआर क्र 2154/20, प्र.पी.03 काटा गया था। प्रकरण में प्र.पी.01 एवं 02 के जप्ती पंचनामा में स्पष्ट रूप से यह नहीं लिखा है किस अभियुक्त से क्या सामान जप्त हुआ था। प्रदीप कुमार वनरक्षक जप्तीकर्ता परि.सा.05 ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा-4 में यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.01 एवं 02 के जप्ती पंचनामा में यह उल्लेख नहीं है कि किस अभियुक्त से क्या सामान जप्त किया था। प्र.पी.01 के जप्ती पंचनामा एवं प्रदीप कुमार वनरक्षक की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि किस अभियुक्त से क्या सामान जप्त हुआ था। प्र.पी.08 के गिरफ्तारी पंचनामा में दिनांक के अंक तीन को काटकर अंक दो बनाया गया है। प्र.पी.08 के गिरफ्तारी पंचनामा में दिनांक के संबंध में ओवर राइटिंग है। प्र.पी.16 के परिवाद पत्र में घटनास्थल कक्ष क्र. 1506 लिखा है।

परंतु प्र.पी.05 एवं 06 के मौका पंचनामा में कक्ष क्रमांक का उल्लेख नहीं है। प्र.पी.16 के परिवाद एवं प्र.पी.05, 06 के मौका पंचनामा में कक्ष क्रमांक के संबंध में विरोधाभास है। प्रदीप कुमार परि.सा.05 को प्रकरण की विवेचना के लिए कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-8 में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त दुलमसिंह के घर से कोई संपत्ति जप्त नहीं हुई थी। उक्त साक्षी के मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त के घर से प्रकरण की संपत्ति जप्त होने के संबंध में विरोधाभास है। प्र.पी.05 एवं 06 के मौका पंचनामा में घटना का स्थान नहीं लिखा है। गोविंद परि.सा.02 की साक्ष्य से घटनास्थल स्पष्ट नहीं होता है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-4 में यह बताया है कि प्र.पी.01 लगा. 05 एवं प्र.पी.08 की लिखा पढ़ी की कार्यवाही पर उसके हस्ताक्षर रेंज आफिस में करवाये थे। इस साक्षी की साक्ष्य में एवं प्र.पी.01 लगा. 05 एवं प्र.पी.08 के दस्तावेजों में एवं उक्त दस्तावेजों की लिखा पढ़ी के स्थान के संबंध में विरोधाभास है। इस साक्षी की साक्ष्य के अनुसार घटना दिनांक को रेंजर नहीं थे इस कारण अभियुक्त को एक दिन रेंज आफिस में रखा था। उसके दूसरे दिन प्रकरण की कार्यवाही की गयी थी। उक्त साक्षी ने प्र.पी.01 एवं 02 के जप्ती पंचनामा को पढ़कर नहीं देखा था कि उनमें क्या लिखा था। इस साक्षी को यह पता नहीं है कि किस जानवर का मांस था। साक्षी ने घटनास्थल पर जप्ती की कार्यवाही के समय स्वयं की उपस्थिति से इंकार किया है।

16— प्रकरण में प्र.पी.01, 02 के जप्ती पंचनामा, प्र.पी.05, 06 के मौका पंचनामा एवं प्र.पी.08 के गिरफ्तारी पंचनामा के साक्षी रमेश की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि घटनास्थल कौन सा स्थान था। उक्त साक्षी एवं प्रदीप कुमार वनरक्षक की घटना के समय बीट अलग-अलग थी। परिवादी पक्ष ने यह स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि रमेश कटरे, प्रदीप कुमार वनरक्षक की बीट में क्यों उपस्थित हुए थे। रमेश कुमार कटरे ने दो तारीख को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना बताया है। लेकिन रमेश कुमार कटरे ने उसकी साक्ष्य में महीना एवं वर्ष के बारे में नहीं बताया है। संतलाल परि.सा.01 की साक्ष्य के अनुसार प्र.पी.01, 02 के जप्ती पंचनामा, प्र.पी.03 के पी.ओ.आर. में एवं प्र.पी.08 के गिरफ्तारी पंचनामा में क्या लिखा है एवं किसने लिखा है साक्षी को पता नहीं है, यह भी पता नहीं है कि किससे संपत्ति जप्त हुई थी।

17— एच.डी.सारवे परि.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-3 में बताया है कि घटना के समय व घटनास्थल पर वनरक्षक के साथ नहीं गया था। उक्त साक्षी ने प्र.पी.01 व 02 का जप्ती पंचनामा सत्यापित नहीं किया था। साक्षी ने प्र.पी.10 का घटनास्थल का नजरी नक्शा एवं प्र.पी.15 के चीतल काटने के नजरी नक्शा पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटनास्थल उनके परिक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था पूर्व सामान्य वन परिक्षेत्र बैहर के अंतर्गत आता था। संतलाल परि.सा.01, गोविंद परि.सा.02 के अनुसार प्रकरण की कार्यवाही घटनास्थल पर नहीं हुई थी। जप्त सामग्री को विशेषज्ञ से जांच कराने के लिए प्रयोगशाला नहीं भेजी थी। इस कारण यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि प्रकरण में जप्तशुदा मांस किस वन्य प्राणी का था। इस कारण प्रकरण की घटना अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है।

18— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में परिवादी पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध प्रश्नाधीन प्रकरण की घटना प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-2(16), 9, 31, 34, 35(क)(6)(8), सहपठित धारा-51 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19— प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

20— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति चीतल का चमड़ा, चीतल की लद्दी, चीतल का मांस लगभग 100 ग्राम, एक नग कुल्हाड़ी, एक नग हंसिया, चीतल के बाल, खून लगी मिट्टी विधिवत अपील अवधि पश्चात वन विभाग वालों को वापस की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
तहसील बैहर जिला—बालाघाट